भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4188

मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य

4188. श्री इमरान मसूदः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 100 बिलियन डॉलर के वार्षिक एफडीआई लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियों में सुधार करने का विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) वित्तीय वर्ष 2024 में एफडीआई के पाँच वर्षों के निम्नतम स्तर पर पहुँचने के प्रमुख कारण क्या हैं और इसे नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) रक्षा, बीमा और दूरसंचार जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में एफडीआई को उदार बनाने में क्या प्रगति हुई है और वर्ष 2024 में एफडीआई पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) सेवा, सॉफ्टवेयर और विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और एफडीआई लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है तथा इसकी प्रगति की निगरानी के लिए मौजूदा तंत्र क्या हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): सरकार सतत आधार पर एफडीआई नीति की समीक्षा करती है तथा समय-समय पर इसमें महत्वपूर्ण बदलाव करती है ताकि भारत का आकर्षक और निवेशक अनुकूल गंतव्य स्थल बने रहना सुनिश्चित हो सके। हालांकि, सरकार एफडीआई अंतर्वाह के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है क्योंकि एफडीआई काफी हद तक निजी व्यवसायों के निर्णय का मामला है। एफडीआई अंतर्वाह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, बाजार का आकार, अवसंरचना, राजनीतिक और सामान्य निवेश वातावरण के साथ-साथ व्यापक आर्थिक स्थिरता और विदेशी निवेशकों के निवेश संबंधी निर्णय।

भारत सरकार विनियामक बाधाओं को दूर करके, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, अवसंरचना को विकसित करके, लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाकर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ाकर व्यावसायिक वातावरण में सुधार करके अधिक एफडीआई आकर्षित करने का निरंतर प्रयास करती है।

देशभर में सुचारू व्यापार विनियामक फ्रेमवर्क को और मजबूत करने तथा राज्यों को, एफडीआई सहित, निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हेतु प्रेरित करने के लिए विभिन्न पहलें की जा रही हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, संभावित निवेशकों को सकारात्मक व्यापार ईकोसिस्टम के उदाहरणों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए लॉजिस्टिक्स कार्यनिष्पादन के बारे में बताने के लिए, भारत सरकार ने व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) 2024 रैंकिंग और विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स संबंधी सुगमता (लीड्स) 2024 रिपोर्ट जारी की। विनियामक अनुपालन बोझ (आरसीबी) संबंधी पहल के परिणामस्वरूप देशभर में 670 अधिनियमों के तहत 42,000 से अधिक अनुपालनों को कम किया गया है। जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से सरकार ने 19 मंत्रालयों/विभागों से 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत किया है।

सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मानदंडों को उदार बनाने के लिए कई क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार किए हैं। 2014 से 2019 के बीच किए गए महत्वपूर्ण सुधारों में रक्षा, बीमा और पेंशन क्षेत्रों में एफडीआई सीमा में वृद्धि और निर्माण, नागर विमानन और एकल ब्रांड खुदरा व्यापार संबंधी नीतियों को उदार बनाना शामिल है। 2019 से 2024 तक किए गए उल्लेखनीय उपायों में कोयला खनन, संविदा आधारित विनिर्माण और बीमा मध्यस्थों के क्षेत्र में स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति प्रदान करना शामिल है।

(ख): भारत में एफडीआई अंतर्वाह वर्ष 2013-14 में 36.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और तब से इसमें वृद्धि हुई है। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 84.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अपना उच्चतम वार्षिक एफडीआई अंतर्वाह प्राप्त किया। भू-राजनीतिक संघर्षों और वैश्विक संरक्षणवादी उपायों के परिणामस्वरूप

वैश्विक मंदी और आर्थिक संकट के खतरे के कारण इसमें थोड़ी गिरावट आई है। हालांकि, पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, एफडीआई अंतर्वाह में 14% की वृद्धि हुई है (अर्थात यह 71.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 80.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है)। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में बीमा, दूरसंचार और रक्षा उद्योग की हिस्सेदारी क्रमशः 9.85%, 1.49% और 0.004% थी।

यह, सक्रिय नीतिगत ढांचे, गतिशील कारोबारी वातावरण और बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता पर आधारित वैश्विक निवेश स्थल के रूप में भारत के बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है। एफडीआई ने, पर्याप्त गैर-ऋण वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराते हुए तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देकर और रोजगार के अवसर सृजित करके भारत के विकास में परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है।

(ग): नए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की इच्छुक कंपनियों के लिए रक्षा क्षेत्र में स्वत: अनुमोदन मार्ग से 74% तक एफडीआई की अनुमति है (पहले यह सीमा 49% थी)। इसके अलावा, दूरसंचार क्षेत्र में स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की क्षेत्रगत सीमा में संशोधन करके स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2025 में भी बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई की क्षेत्रगत सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की गई। यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी, जो पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करती हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एफडीआई इक्विटी अंर्तवाह में बीमा, दूरसंचार और रक्षा उद्योग की हिस्सेदारी क्रमशः 4.13%, 0.63% और 0.009% थी।

(घ): निवेश आकर्षित करने तथा सेवाओं, सॉफ्टवेयर और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों का विवरण **अनुबंध** में प्रदान किया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, सरकार नियमित आधार पर एफडीआई नीति की समीक्षा करती है ताकि इसे अधिक निवेशक-अनुकूल बनाया जा सके और देश में

निवेश अंतर्वाह में रूकावट उत्पन्न करने वाली नीतिगत बाधाओं को दूर किया जा सके। मौजूदा एफडीआई नीति फ्रेमवर्क के अंतर्गत एक निषेध सूची आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को छोड़कर, लागू कानूनों/नियमों, सुरक्षा और अन्य शर्तों के अध्यधीन, स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% तक एफडीआई की अनुमति है। बेहतर वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता, गतिशील नवप्रयोग ईकोसिस्टम और व्यापार-अनुकूल वातावरण जैसे कारकों की भूमिका इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। यह, सक्रिय नीतिगत ढांचे, गतिशील कारोबारी वातावरण और बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता पर आधारित वैश्विक निवेश स्थल के रूप में भारत के बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है। एफडीआई ने, पर्याप्त गैर-ऋण वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराते हुए तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देकर और रोजगार के अवसर सृजित करके भारत के विकास में परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है।

*****

अनुबंध

दिनांक 19.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4188 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्षेत्र-विशिष्ट बाधाओं को दूर करने तथा विशेष रूप से सॉफ्टवेयर, सेवा और विनिर्माण क्षेत्र के लिए निवेश गंतव्य के रूप में भारत के आकर्षण को बढ़ाने के लिए की गई पहलों का विवरण निम्नानुसार है:

1. सॉफ्टवेयर क्षेत्र :

सॉफ्टवेयर क्षेत्र में एफडीआई को आकर्षित करने के लिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) स्थापित किए गए हैं, ताकि कर लाभ, अवसंरचनागत सहायता और विनियामकीय सुविधा उपलब्ध कराते हुए सॉफ्टवेयर क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया जा सके। एसईजेड, आईटी और सॉफ्टवेयर विकास के क्षेत्र में विदेशी और घरेलू निवेश को आकर्षित करने के लिए कर संबंधी प्रोत्साहन, आसान विनियम और विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ-साथ, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे सरकारी सहायता प्राप्त प्रोत्साहनों के अलावा एसटीपीआई सॉफ्टवेयर विकास और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

2. सेवा क्षेत्र :

सेवा क्षेत्रों में मौजूद बाधाओं को दूर करने के लिए, भारत में स्टार्टअप और नवप्रयोग ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए समन्वित प्रयास किए गए हैं। उदाहरण के लिए, स्टार्टअप में नवप्रयोग को प्रोत्साहित करने और निवेश को आकर्षित करने के लिए, सरकार ने वर्ष 2025-26 से सभी वर्ग के निवेशकों के लिए 'एंजेल टैक्स' को समाप्त कर दिया है। यह कदम, शुरुआती चरण की कंपनियों और उनके निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा को समाप्त करता है। इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2025 में यह घोषणा की गई है कि स्टार्टअप के लिए सहायता बढ़ाने हेतु 10,000 करोड़ रुपए वाला एक नया निधियों का कोष (फंड ऑफ फंड्स) स्थापित किया जाएगा।

3. विनिर्माण क्षेत्र:

विकास को गति देने और भारत को वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से सरकार ने कई पहलें शुरू की हैं। निवेश आकर्षित करने के लिए, विनिर्माण क्षेत्र में स्वत: अनुमोदन मार्ग के माध्यम से 100% एफडीआई की अनुमति है। वर्ष 2020 में

शुरू की गई पीएलआई स्कीम, आत्मनिर्भरता की दिशा में कार्यनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए, देश की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए (26 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक) के परिव्यय से 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों की घोषणा की गई। इसके अलावा, मेक इन इंडिया पहल, अपने विनिर्माण परिदृश्य को नया आकार देने और अपनी वैश्विक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के प्रति भारत के दृढ़संकल्प का प्रमाण है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की चल रही स्कीमों के अलावा, सरकार ने सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में विनिर्माण के योगदान को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें सार्वजनिक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) और क्यूसीओ (गुणवत्ता नियंत्रण आदेश) आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा की गई पहलों के फलस्वरूप विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में 69% की वृद्धि हुई है और यह 2004-2014 के दौरान 98 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2014-2024 के दौरान 165 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।

*****